इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 4 अंक सं. : 5 दिसम्बर 2011

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मुख्य घटनाएं---------- 1
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------2
बैंकिंग जगत की घटनाएं----------2
विनियामकों के कथन ----------4
विदेशी मुद्रा ----------5
बीमा ---------- ----------6
उत्पाद एवं गंठजोड----------6
नयी नियुक्तियां----------6
अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक---------- 6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं ----------7
शब्दावली ----------7
संस्थान की गतिविधियां ----------7
संस्थान समाचार----------8
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक चेकों की वैधता अवधि घटाएगा

आगामी वित्तीय वर्ष की शुरूआत से भारतीय रिज़र्व बैंक ने चेकों और बैंक ड्राफ्टों की वैधता अवधि वर्तमान छ माह से घटा कर तीन माह कर दी है। 1 अप्रैल 2012 से बैंकों को उन चेकों, ड्राफ्टों, भुगतान आदेशों अथवा बैंकर चेकों के समक्ष उनके जारी किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के बाद प्रस्तुत किए जाने पर भुगतान नहीं करना चाहिए।

बैंकों ने पूर्व-भुगतान जुरमाना माफ किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने ऋणों की परिपक्वता अवधि के पूर्व चुकौती करने वाले उधारकर्ताओं पर जुरमाने लगाए जाने की आवश्यकता पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया था। जब दीर्घावधिक ऋण प्रदान किए जाते थे, तो उधारदाता अपनी आस्तियों एवं देयताओं को बराबर रखने के लिए दीर्घावधिक जमाराशियां जुटाते थे। इसलिए, जब ऋणों की पूर्व-चुकौती की जाती है, बैंक अपनी बहियों में दीर्घावधिक जमाराशियां पूर्ववत बनाए रखते हैं , जिसके फलस्वरूप असंतुलन पैदा होता है। पूर्व-भुगतान जुरमाने इस असंतुलन को बराबर करने के लिए लगाए जाते थे, किन्तु केवल बड़े आकार वाले ऋणों पर ही। अब ये भी माफ किए जा रहे हैं। इस माफी से विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) को लाभ पहुंच सकता है, क्योंकि इसका मूल्य-निर्धारण प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी होता है और इसमें कोई प्रच्छन्न प्रभार शामिल नहीं है।

चेक लेनदेनों के मूल्य में कमी

देश भर में चेकों का उपयोग करते हुए किए गए लेनदेनों का कुल मूल्य सितम्बर 2011 में 7.46 लाख करोड़ रुपये रहा - जो सितम्बर 2010 के 7.75 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 1,4% कम था। हालांकि सितम्बर 2011 में बैंकों द्वारा समाशोधित चेकों की संख्या में सितम्बर 2010 की तुलना में

2.6% की वृद्धि हुई। । सितम्बर 2010 में 10.84 करिड़ की तुलना में सितम्बर 2011 में कुल 11.12 करोड़ चेक समाशोधित किए गए। अप्रैल - सितम्बर की अवधि के दौरान चेकों का उपयोग करते हुए किए गए लेनदेनों का कुल मूल्य एक वर्ष पहले के 49.15 लाख करोड़ रुपये के समक्ष 48.88 लाख करोड़ रुपये था - जिसमें 0.1% की मामूली सी कमी आई। इलेक्ट्रानिक अंतरण माध्यम के विकास के परिणामस्वरूप पिछले कुछेक वर्षों के दौरान चेक से सम्बन्धित लेनदेनों में गिरावट की प्रवृत्ति जारी है । देश में चेक से सम्बन्धित लेनदेनों का मूल्य वर्षानुवर्ष 2.6% की गिरावट के साथ वर्ष 2010-11 में 101.33 लाख करोड़ रुपये रह गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा संरचनागत व्युत्पन्नी प्रदान किए जाने के नये नियम अनुमोदित किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए जोखिम प्रतिरक्षित करने हेतु ग्राहकों को संरचनागत व्युत्पन्नी उत्पाद (किसी अन्तर्निहित व्युत्पन्नी के बिना) प्रदान किए जाने से सम्बन्धित नियमों को अनुमोदित कर दिया है। बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे कम्पनी के निदेशक मंडल का व्युत्पन्नियों का लेनदेन करने के लिए नियत सीमा के सम्बन्ध में संकल्प प्राप्त करें। इस सीमा पर निगरानी रखते समय बैंक कम्पनी द्वारा की गई सभी व्युत्पन्नी संविदाओं की कुल सांकेतिक रकम को ध्यान में रखेगा । बैंको को इन उत्पादों को प्रदान करने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की भी आवश्यकता होगी। संरचनागत व्युत्पन्नी उत्पादों में उन लिखतों का समावेश होता है जो या तो नकदी और एक या उससे अधिक सामान्य व्युत्पन्नी उत्पादों या फिर दो या उससे अधिक व्युत्पन्नियों के संयोजन होते हैं।

विदेशी निवेशक मूलभूत संरचना ऋण निधियों में निवेश कर सकते हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी निवेशकों को गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFCs) अथवा पारस्परिक निधियों (MFs) के रूप में गठित मूलभूत संरचना ऋण निधियों (IDFs) द्वारा प्रवर्तित ऋण लि खतों में निवेश करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इन ऋण लिखतों में विदेशी मुद्रा और रुपया बॉण्ड शामिल होंगे। जहां व्यक्तियों और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) , दोनों ही को निवेश करने की अनुमति है, वहीं विनियामक ने उन लिखतों को विनिर्दिष्ट कर दिया है, जिनमें वे निवेश करने के पात्र हैं। पात्र विदेशी निवेशकों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास पंजीकृत उच्च निवल हैसियत वाले व्यक्तियों (HNIs) ; भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास उसके सब-एकाउंटों (sub-accounts) के रूप में पंजीकृत उच्च निवल हैसियत वाले व्यक्तियों, पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा ऐसे अनिवासियों का समावेश है, जो विदेशी मुद्रा प्रबन्ध विनियम 2000 के तहत आते हों। पात्र विदेशी संस्थागत निवेशकों में सावरेन संपदा निधियों, बहु-राष्ट्रीय एजे न्सियों, पेंशन निधियों, बीमा और धर्मादा (endowment) निधियों तथा भारतीय प्रतिभूति औरविनिमय बोर्ड (SEBI) के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों का समावेश है। अनिवासियों

द्वारा विदेशी मुद्रा तथा मूलभूत संरचना ऋण निधियों द्वारा जारी रुपया बॉण्डों में निवेशों को 10 बि लियन डालर (विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा मूलभूत संरचना क्षेत्र में किए जाने वाले निवेश की 25 बिलियन सीमा के भीतर) तक सीमित रखा जाएगा। मूलभूत संरचना ऋण निधियों द्वारा जारी रुपया बॉण्डों में निवेश करने वाले अनिवासी भारतीयों के लिए कोई सीमा नहीं निर्धारित की गई है।

निर्णयन में ब्याज दर प्रासंगिक

अपनी मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही की समीक्षा में भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह घोषणा की है कि प्रत्येक बैंक को 1 लाख रुपये तक के बचत बैंक खातों पर एक समान ब्याज दर प्रदान करनी होगी। उससे अधिक पर बैंक विभेदक दरें प्रदान कर सकते हैं। किसी ग्राहक के लिए उत्पाद की विशेषता एव उपलब्धता के अलावा ब्याज दर उनकी निर्णयन प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाती है। निजी क्षेत्र के उन अपेक्षाकृत छोटे बैंकों में, जो बचत बैंक जमाराशियों पर ब्याज दरों के मुक्त कर दिए जाने के प्रत्युत्तर में आगे बढ़ चुके हैं यह देखने में आया है कि ग्राहक अपेक्षाकृत अधिक प्रतिलाभ के प्रति नि श्चित रूप से आकर्षित होते हैं। हालांकि, बड़े बैंकों का कहना यह है कि उनके ग्राहक ब्याज दरों की खरीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बचत बैंक खाते ब्याज दर अर्जित करने की अपेक्षा दैनंदिन बैंकिंग लेनदेनों के उद्देश्य पर आधारित हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के ई- ट्रेडिंग प्लेटफार्म का दायरा शहरी सहकारी बैंकों तक बढ़ा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म - तयशुदा लेनदेन प्रणाली (NDS) का दायरा गौण बाज़ार तक विस्तीर्ण कर दिया है। सरकारी प्रतिभूतियों (GSecs) में अधिक सहभा गियों को शामिल करने हेतु गौण बाज़ार को व्यापक बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने लाइंसेंसीकृत शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) और जमा न स्वीकार करने वाली सर्वांगी महत्वपूर्ण गैर-बैं किंग वित्तीय कम्पनियों (NBFC-NDSIs) को तयशुदा लेनदेन प्रणाली - आदेश मिलान (NDS-OM) तक सीधी पहुंच की सुविधा प्रदान कर दी है। जमा न स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्प नियों (NBFC-NDSIs) अब शेयर, स्टॉक, बॉण्ड, डिबेंचर अथवा सरकारी प्रतिभूतियां अथवा अन्य ि बक्रीयोग्य प्रतिभूतियां अभिगृहीत कर सकती हैं। हालांकि, तयशुदा लेनदेन प्रणाली - आदेश मिलान (NDS-OM) की सदस्यता प्रदान किया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक के सम्बन्धित विनियामक विभाग की सहूलियत के अध्ययीन है। जो इसके लिए पात्र हैं, उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे तयशुदा लेनदेन प्रणाली - आदेश मिलान (NDS-OM) की सदस्यता के लिए आवेदन करते समय अपने सम्बन्धित वि नियामक विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। तयशुदा लेनदेन प्रणाली - आदेश मिलान (NDS-OM) तक सीधी पहुंच से सम्बन्धित कुछेक मानदंडों में तयशुदा लेनदेन प्रणाली की सदस्यता के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सहायक सामान्य खाताबही (SGL) खाता, भारतीय वित्तीय नेटवर्क (INFINET) की संयोजकता तथा भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (CCIL) की सदस्यता शामिल हैं ।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

चलनिधि समायोजन सुविधा की उधार राशियां शिखर पर

भारतीय रिज़र्व बैंक के 10,000 करोड़ रुपये मूल्य के बॉण्डों की वापसी खरीद किए जाने के बावजूद बैंकों द्वारा उसकी चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) से 1,31,540 करोड़ रुपये की भारी रकम प्राप्त किए जाने के फलस्वरूप मुद्रा बाज़ार में कठिन स्थिति बनी रही। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के निर्धारित आय मुद्रा के क्षेत्रीय प्रमुख श्री अनंत नारायण जी. ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि अग्रिम कर अदाय गियों के कारण बहिर्वाह के आधार पर मुद्रा बाज़ार में दिसम्बर में कठोर स्थिति बनी रहेगी। चलनिधि की आपूर्ति में कमी के बावजूद भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) में कटौती का संकेत नहीं दिया है, किन्तु आगे चल कर खुले बाज़ार के परिचालनं (OMO) और आरक्षित नकदी निधि अनुपात में कटौती का संयोजन चलनिधि का प्रबन्धन करने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की उक्त सुविधा से लगभग 90,000 करोड़ रुपये प्राप्त करते आ रहे हैं - जो भारतीय रिज़र्व बैंक के 55,000 - 60,000 करोड़ रुपये की सहूलियत वाले स्तर से काफी अधिक हैं। चलनिधि की कठिन स्थिति ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि पर दबाव को कम करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के मूल्य के खुले बाज़ार के परिचालन की घोषणा किए जाने के बावजूद न्यूनतम प्रतिफल और अल्पावधिक मांग दरों को बढ़ा दिया है।

ऋण वृद्धि भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमानों से कम स्तर पर

व्यस्त मौसम प्रारंभ होने के बावजूद ऋण की मांग के अब भी मंद रहने के फलस्वरूप बैंकों की ऋण वृद्धि इस वित्तीय वर्ष में पहली बार वर्षानुवर्ष आधार पर 18% से कम रही। अक्तूबर में, बैंकों की ऋण-बही में लगभग 60,000 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष की शुरूआत सें 21.4% से कम) का संकुचन आया। अब तक ऋण वृद्धि 5.5% रही है। प्रणाली की जमाराशियों में लगभग 70,000 करोड़ रुपये की कमी आने के परिणामस्वरूप अक्तूबर में बैंकों की अपनी आस्तियों में भी कमी आ गई, इसप्रकार उनकी वर्षानुवर्ष जमाराशियों में भी 13.5% की गिरावट आ गई। खुदरा जमाराशियों की वद्धि के सुदृढ़ बनी रहने के परिणामस्वरूप बैंक अपनी निधि लागत में कमी लाने के लिए उच्च लागत वाली थोक जमारा शियों से बच रहे हैं। ऋण वृद्धि अभी तक तीव्र रही है, क्योंकि ब्याज दरें उच्च बनी रही हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में बचत बैंक जमाराशियों में सुदृढ़ वृद्धि परिलक्षित

ग्रामीण क्षेत्र के लोग सावधि जमाराशियों (TDs) की बजाय बचत बैंक (SB) जमाराशियों में धन का अधिक निवेश करते हैं। वर्ष 2010-11 में 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में बचत बैंक जमाराशियों में 15,000 करोड़ रुपये, सावधि जमाराशियों में 4800 करोड़ रुपये और चालू खाता जमाराशियों में 1,100 करोड़

रुपये की वृद्धि देखने में आई है। प्रचुर ग्रामीण उपस्थिति छोटे आकार वाली जमाराशियों के कारण कासा (चालू खाता बचत खाता) जमाराशियों में कुल जमाराशियों के लगभग 60% का समावेश था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 1,988 करोड़ रुपये का निवल लाभ दर्ज किया है, जो पिछले 1,884 करोड़ रुपये की तुलना में 5.5% की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि मुख्यत:इस अवधि में प्रावधानों एवं आक स्मिकताओं में आई 30% की कमी के कारण संभव हुई। ब्याजगत आय 17.6% की वृद्धि दर्ज करते हुए 15,225 करोड़ रुपये रही।

बैंकों के लिए आस्ति की गुणवत्ता पर गहनतापूर्वक निगरानी रखना जरूरी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बात पर बल दिया है कि बैंकों के लिए अपनी मौजदा अनर्जक आस्तियों से निपटने तथा उपनी ऋण प्रबन्धन प्रणाली को कठोर बनाने के लिए प्रयासों में तेजी लाना आवश्यक है । वर्ष 2007-08 से वसूली विसर्पणों के अनुरूप नहं हुई है। बढ़ती ब्याज दरों और संकट की अवधि में की गई पर्याप्त पुनर्संरचना से बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पर और दबाव बढ़ सकता है, जिस पर बदलते ब्याज दर परिदृश्य में गहनतापूर्वक निगरानी रखे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि लघु एवं मध्यम उद्यमों के समस्यामूलक ऋण पोर्टफोलियो में वृद्धि हो सकती है। बैंकिंग क्षेत्र द्वारा अग्रिमों की पुनर्संरचना का कार्य आरंभ किेए जाने से सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आ स्तियों के अनुपात को पिछले वर्ष के 2.39% के स्तर से घटा कर 2010-11 में 2.25% पर लाने में सहायता प्राप्त हुई है। प्रणाली के स्तर पर, सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में पुनर्संरचित मानक अग्रिम 2.16% से बढ़ कर मार्च, 2011 में 2.66% हो गए।

वित्तीय समावेशन - शहरी केन्द्रों में एक उभरता अवसर

बैंकिंग क्षेत्र का प्रसार क्षेत्र ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों तक विस्तीर्ण होने के बावजूद शहरी भारत में समान रूप से भारी आवश्यकता और गुंजाइश उभर रही है। आगामी दो दशकों में भारत की उपभोग वृद्धि का दो-तिहाई अंश शहरी केन्द्रों से प्राप्त होगा। 2015 तक ऐसे लगभग 45 मिलियन प रिवारों के 2 लाख रुपये से कम आय वाली श्रेणी में होने की आशा है, जिनके लिए वित्तीय समावेशन प्रासंगिक होगा। इन परिवारों का लगभग 60% 67 टियरr -I, टियर-II और टियर- III वाले शहरों में संकेन्द्रित है, जबकि शेष 5,000 से अधिक छोटे नगरों से होंगे। बैंकों को केवल इसी खण्ड से लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का समग्र ऋण अवसर अर्थात् आवास ऋण, वैयक्तिक ऋण और सूक्ष्म उद्यम ऋण प्राप्त होगा । बीमा, जमाराशियों और विप्रेषण के भी अवसर मौजूद होंगे। नये ग्राहक अभिगृहीत करने की लागत कम रखे जाने पर वित्तीय सेवा-प्रदाताओं के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपये के संभाव्य राजस्व के अवसर उपलब्ध होंगे। फिर बैंक इन बचतों का उपयोग अपचारों की भरपाई करने हेतु कर सकते हैं।

बैंक इंजीनियरिंग स्नातकों की नियुक्ति कर रहे हैं

युवा ग्राहकों को अकर्षित करने और टिकाए रखने की मुहिम में अब बैंकों द्वारा इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी स्नातकों की नियुक्ति किए जाने की संभावना है। बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास संस्थान (IDRBT) का अनुमान है कि बैंकों को उनके वर्तमान कार्यबल में कम से कम 10 से 20% तक प्रौद्यो गिकी स्नातकों की आवश्यकता होगी। भारत में लगभग 3,000 इंजीनियरिंग महाविद्यालय हैं और प्रति वर्ष लगभग 15 लाख इंजीनियर स्नातक की उपाधि प्राप्त कर रहे हैं। बैंकों को, विशेषत: प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्पादों में वृद्धि होने के कारण प्रौद्योगिकी, सांख्यिकी, गणित में विशेषज्ञों और व्यवसाय विश्लेषकों की आवश्यकता होगी। फलत: बैंकों की जनशक्ति से सम्बन्धित आवश्यकता में और अधिक विविधता आएगी। प्रौद्योगिकी व्यावसायिक इस क्षेत्र के विस्तारपूर्ण स्वरूप और वर्तमान आ र्थिक परिवेश के प्रति सरोकार के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आजीविका की शुरूआत करने पर अधिकाधिक रूप से विचार कर रहे हैं।

2008 के ऋण संकट से सम्बन्धित जमानतें बैंकों के लिए प्रेत-बाधा हो सकती हैं

एअरलाइनों और बिजली कम्पनियों के लिए जमानतों (bail-outs) के अगले दौर के शोर-शराबे के बीच भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2008 के ऋण संकट के दौरान पुनर्संरचित ऋणों के बैंकों के लिए अवरोध बन जाने के भूत का मुद्दा उठा दिया है। उक्त संकट के दौरान दंड से विशेष छूट दिए गए सभी ऋणों के अनर्जक श्रेणी में वापस खिसक जाने पर कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में बैंकों के अशोध्य ऋण दो गुने से अधिक हो जाएंगे। जहां तक पुनर्संरचित मानक खातों का सम्बन्ध है, इस आशय की चिंता हमेशा मौजूद थी कि वसूलियां विसर्पणों (slippages) के अनुरूप नहीं रहीं। बढ़ती ब याज दरें और संकट के दौरान यथोचित सावधानी के साथ न की गई पुनर्संरचना की पर्याप्त रकम, बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पर और दबाव डाल सकती है। संकट के दौरान पुनर्संरचित सभी ऋणों के अशोध्य हो जाने पर प्रणाली की कुल अनर्जक आस्तियां 2.35 % से बढ़ कर 5.01% हो जाएंगी। उपयोगिताओं, सरकार द्वारा स्वाधिकृत बिजली वितरकों और उड्डयन कम्पनियों को प्रदत्त हजारों करोड़ रुपये के ऋणों के अशोध्य हो जाने की ओर अग्रसर होने के परिणामस्वरूप भारतीय बैं किंग प्रणाली की शक्ति के प्रति संदेह पैदा हो जाता है। जैसा कि वर्ष 2008 में स्थावर संपदा और अब बिजली क्षेत्र में हुआ है, जब कभी कोई क्षेत्र संकट के दौर से गुजरता है, तो विशेष छूट की सुविधा की मांग होती है। जहां इससे अशोध्य ऋण अनुपात को अल्पावधि में छिपाने में सहायता प्राप्त होती है, वहीं ये विदेशी आस्तियां बैंक के कार्य-निष्पादन को कई वर्षों तक अपकर्षित करते हुए प्रणाली में ही बनी रहती हैं।

भारतीय बैंकों को 2019 तक 8 लाख करोड़ रुपयों की जरूरत

भारतीय साख-निर्धारण सूचना सेवा लिमिटेड (CRISIL) के सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय बैंकों को बासेल -III मानदंडों के तहत न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अपेक्षा को पूरा करने के लिए 8 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। यह रकम 2013 और 2019 की संक्रमण अवधि के दौरान

उनके अर्जनों के अलावा है। वर्ष 2010 में जारी बासेल -III दिशानिर्देशों के अनुसार विश्वभर के बैंकों के लिए 10.5% का न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) रखना आवश्यक होगा, जिसमें 7% की मुख्य इक्विटी, 1.5% की गैर-इक्विटी टियर -I पूंजी और 2% की टियर-II पूंजी शामिल है। 2.5% तक का प्रतिचक्रीय प्रतिरोधक पूंजी पर्याप्तता की कुल अपेक्षा में 13% की वृद्धि कर देगा। 31 मार्च, 2011 के दिन भारतीय बैंकों का कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 14.1% था।

वाणिज्यिक बैंक मूलभूत सुविधा ऋण निधि का प्रायोजन कर सकते हैं

वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ पारस्परिक निधियों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों , दोनों ही मार्गों के माध्यम से मूलभूत सुविधा ऋण निधियों (IDFs) के प्रायोजक के रूप में कार्य करने की अनुमति होगी। किसी प्रायोजक बैंक को मूलभूत सुविधा ऋण निधि -गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी की इक्विटी के न्यूनतम 30% और अधिकतम 49% का अंशदान करना चाहिए। एकल मूलभूत सुविधा ऋण निधि पारस्परिक निधि और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी की इक्विटी में किसी बैंक द्वारा निवेश बैंक की चुकता शेयर पूंजी और प्रारक्षित निधियों के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। सहायक कम्पनियों, वित्तीय सेवा कम्पनियों, वित्तीय संस्थाओं, शेयर एवं अन्य बाज़ारों में किसी बैंक का इक्विटी में कुल मिला कर निवेश बैंक की चुकता शेयर पूंजी और प्रारक्षित निधियों के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस सीमा में एक प्रायोजक के रूप में मूलभूत सुविधा ऋण निधि में बैंक का निवेश भी शामिल होगा। यह उनके पूंजी बाज़ार में एक्सपोजर के एक अंग के रूप में होगा तथा इसे विनिर्दिष्ट विनियामक सीमाओं के भीतर होना चाहिए।

बैंक ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की सहायता करेंगे

वित्त मंत्रालय के आदेशों के अनुसरण में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कम कर्मचारियों वाले ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (DRTs) में जनशक्ति प्रतिनियुक्त करने में व्यस्त हैं। इन ऋण वसूली न्यायाधिकरणों, जिनकी स्थापना उस समय बैंकों को विवादग्रस्त ऋणों के तीव्र गति से पुन: समाधान एवं वसूली की सुविधा प्रदान करने के लिए की गई थी, में 2 लाख करोड़ रुपये के ऋण उलझे हुए हैं। इनमें से 1.29 लाख करोड़ रुपये के ऋणों के वसूली प्रमाणपत्र जारी किए जाने अभी तक शेष हैं। भारत में कुल 33 ऋण वसूली न्यायाधिकरण और 5 ऋण वसूली अपीली न्यायाधिकरण हैं। बैंक 10 लाख रुपये से अधिक के ऐसे विवादग्रस्त ऋणों के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरणों से संपर्क करते हैं, जिनके लिए कृषि भूमि अन्तर्निहित प्रतिभूति थी। ऋण वसूली न्यायाधिकरणों से इन मामलों का 6 माह के भीतर समाधान करने की अपेक्षा की जाती है। ऋणदाता वसूलियों पर अत्यधिक निर्भर होते हैं, क्योंकि अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण की आवश्यकता उनके लाभ को निगल जाती है। सार्वज निक क्षेत्र के अधिकांश बैंकों ने वर्तमान वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में कमतर निवल लाभ दर्शाए हैं।

कम्पनियों के लिए मुद्रा अदली-बदली सीमाएं उदारीकृत

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अदला-बदली लेनदेनों पर 100 मिलियन डालर की सीमा को समाप्त करते हुए विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं से सम्बन्धित दिशानिर्देशों को संशोधित कर दिया है। इस मुहिम से कम्पनियों को विदेशी मुद्रा की निवल आपूर्ति को बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी तथा इसका उद्दिष्ट बैंकों को विदेशी ऋण ले रखने वाली कम्पनियों को उस समय अधिक मुद्रा अदला-बदलियां बेचने में समर्थ बनाना है जब मुद्रा बाज़ार मामूली तौर पर अस्थिर हो। वर्ष 2010 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मध्यवर्तियों के रूप में कार्य करने वाले बैंकों द्वारा अदला-बदली लेनदेन करने की अनुमति कारपोरेट प्रतिपक्षियों की आवश्यकताओं से मिलान करते हुए दी जाती थी। जबकि ग्राहकों को उनके विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को प्रतिरक्षित करने में सहायता करने के लिए अदला-बदलियां करने के सम्बन्ध में कोई सीमा नहीं तय की गई थी, वहीं ग्राहकों को विदेशी मुद्रा देयता स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करने वाली अदला- बदलियों के कारण बाज़ार में विदेशी मुद्रा की निवल आपूर्ति करने के लिए 100 मिलियन डालर की सीमा तय की गई थी।

एटीएमों में वृद्धि से शुल्क-आधारित आय बढ़ेगी

वर्ष 2009 में अन्य बैंक के एटीएमों का उपयोग करने हेतु प्रदत्त अनुमोदन ने बैंकों को शुल्क-आधारित आय बढ़ाने, नये ग्राहक अभिगृहीत करने और मौजूदा ग्राहकों की सेवा करने के लिए देशभर में अधिक एटीएम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। बैंकों द्वारा स्थापित किए गए एटीएमों की संख्या में 24% की वृद्धि हुई है और मार्च 2011 में उनकी संख्या 74, 505 हो गई है। अरोस वर्डलाइन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2011-12 में यह संख्या बढ़ कर 92, 000 से अधिक हो जाने की संभाबना है। प्रारंभ में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अन्य बैंक के एटीएमों का उपयोग किए जाने हेतु (ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले) लेनदेन प्रभारों को पूर्णत: माफ कर दिया था। हालांकि, बाद में इसे एक माह में 5 लेनदेनों (वित्तीय और गैर-वित्तीय) तक सीमित कर दिया गया। एटीएम बैंकों की ब्रॉण्डिंग, सेवा सुपुर्दगी और विस्तार रणनीति के अभिन्न अंग हैं। वे ग्राहकों को शाखाओं से दूर अन्य चैनलों के उपयोग की दिशा में ले जाने के उद्देश्य से बैंकों की और अधिक कुशल बनने में भी सहायता करते हैं । इसलिए अधिकांश बैंक अपने एटीएम सेवा प्रस्तावों को समृद्ध बना रहे हैं तथा अपने एटीएम आधार को बढ़ा रहे हैं। कुल 74, 505 एटीएमों के 65% से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से सम्बन्धित होने के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस विस्तार प्रक्रिया में अग्रणी की भूमिका निभा रहे हैं। बैंकिंग पैठ के दृष्टिकोण से शाखेतर एटीएम शाखा में स्थापित एटीएमों की तुलना में अधिक प्रासंगिक सिद्ध हो रहे हैं। पिछले वर्ष एटीएमों में हुई कुल निवल वृद्धि में से केवल 44% शाखेतर एटीएम थे।

विनियामकों के कथन

अपने ग्राहकों के साथ विकास करने के लिए अपने ग्राहक को जानिए का उपयोग करें

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण ने कहा है कि "यदि आप अपने ग्राहक को वास्त विक रूप से जानते हैं, तो आप अपने ग्राहक के साथ विकास करनें में समर्थ होंगे। ज्ञान की पूंजी बैंकों को "अपने ग्राहक को जानिए" से "अपने ग्राहक के साथ विकास करें" (KYG) की दिशा में बढ़ने में समर्थ बनाएगी। अपने ग्राहक को जानिए मानदंड बैंकों की जनसांख्यिकियों, आय आदि को जानने में सहायता करेंगे, जिनका उपयोग बैंक सेवा करने और इसप्रकार अपने ग्राहकों के साथ विकास करने में करेंगे।" ग्रामीण वित्तीय समावेशन के साथ-साथ शहरी वित्तीय समावेशन भी बैंकों को बहुत सारे अवसर उपलब्ध कराता है। बैंकों को बचत और उधार के उन मूलभूत प्रेरक तत्वों का विश्लेषण करना चाहिए, जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। सभी आकस्मिकताओं के लिए वित्तीय रूप से अपवर्जित लोगों के ऋण का मूल स्रोत अनौपचारिक क्षेत्र ही होता है। बैंकों के लिए इस अवसर का उपयोग करना और इन आवश्यकताओं को पूरा करना जरूरी है, जिसका अर्थ है इन लोगों के लिए कमतर उधार लागत।

बैंकों को नियत दर वाले उत्पाद अपनाने चाहिए

बैंकों का उत्तम कारपोरेट अभिशासन सेवाएं अपनाने का आह्वान करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आनंद सिन्हा ने ऋणदाताओं से अस्थिर दर प्रणाली का अनुसरण करते रहने की बजाय नियत दर वाले उत्पाद अपनाने के लिए कहा है। विशेषत: दीर्घावधिक उत्पादों के लिए नियत दर अपना कर बैंक न केवल कुछ ऋण जोखिमों को प्रतिरक्षित कर सकते हैं, अपितु उसे ग्राहकों के लिए अधिक लाभदायक बना सकते हैं। वर्तमान परिदृश्य में खुदरा ऋणों जैसे अधिकांश उत्पाद अस्थिर दर वाले हैं। इससे ग्राहक भविष्य में उनके द्वारा चुकाई जाने वाली ब्याज दरों के बारे में अनजान रहते हैं।

निर्यात पर ध्यान देना जरूरी

चालू खाते के घाटे के एक गंभीर चिंता उपस्थित करने के परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच. आर. खान ने निर्यात बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए कहा है। भारत चालू खाते के घाटे (CAD) वाले देशों में शामिल है। उसके भुगतान संतुलन (B0P) के दबावग्रस्त होने के प रिणामस्वरूप भारत को उसे नियंत्रण से परे न जाने देने के लिए निर्यात को बढ़ावा देना होगा। भारत का चालू खाते का घाटा (जून में समाप्त) पहली तिमाही के अंत में सकल घरेलू उत्पादन (GDP) के 3.1% पर पहुंच गया था। प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इस वित्तीय वर्ष के लिए चालू खाते के घाटे का लक्ष्य 2.7% नियत कर रखा था। पिछले वर्ष यह सकल घरेलू उत्पादन का 2.6% था और वह 2010-11 की उसी तिमाही में व्यापार घाटे में वृद्धि और निवेशगत आय से सम्बन्धित निर तर निवल बहिर्वाह के कारण 12 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ कर 14.5 बिलियन

अमरीकी डालर हो गया। देश की बाहरी स्थिति के प्रबन्धनीय बनी रहने की आशा थी, किन्तु कुल मिला कर, वर्ष 2011-12 की भुगतान संतुलन प्रत्याशा स्थिर होने के बावजूद गहन निगरानी आवश्यक बना देती है। निर्यात बढ़ाने से आयात के प्रति अधिकाधिक लचीलापन बरते जाने में सुविधा होगी - इसप्रकार सर्वोत्तम माल एवं सेवाओं तक पहुंच प्राप्त होगी। इकाइयों के पास ऐसी गुणवत्तापरक सामग्री, मशीनरी और चीजें आयात करने की क्षमता है, जो प्रणाली में मौजूद अड़चनों को दूर कर सकें।

मुद्रास्फीति भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमानों को प्रभावित नहीं करेगी

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण ने कहा है कि "सितम्बर 2011 में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट तथा अक्तूबर में मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि इस वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमानों को प्रभावित नहीं करेगी।" वृद्धि की संख्या और मुद्रास्फीति की संख्या, दोनों पर आधारित दिशानिर्देश अब भी कायम हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ( ) वृद्धि संभाव्य श्रेणी के न्यूनतर सिरे पर थी । कुल मिला कर इसका वर्ष के पूर्वानुमानों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। स्फीतिकारी प्रक्षेप वक्र प्रत्याशाओं के अनुरूप ही है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अक्तूबर की नीति में दिए गए नीतिगत दिशानिर्देश अब भी विद्यमान हैं। 25 अक्तूबर को की गई अपनी मौद्रिक नीति की मध्य-तिमाही की समीक्षा में भारतीय रिज़र्व बैंक ने विराम का संकेत दिया था, बशर्ते मुद्रास्फीति में दिसम्बर से कमी आनी प्रारंभ हो जाए। अक्तूबर में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 9.73% थी, जो सितम्बर के 9.72% के स्तर से मामूली तौर पर अधिक थी, क्योंकि खाद्य मदों की कीमतें बढ़ गई थीं। सितम्बर में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वृद्धि मूलत: विनिर्माण क्षेत्र के खराब उत्पादन के कारण घट कर दो वर्ष पहले के 1.9% के न्यून स्तर पर पहुंच गई।

निजी क्षेत्र पर वित्तीय समावेशन का दायित्व : भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के. सी. चक्रवर्ती का कहना है कि "प्रौद्योगिकीय सहायता और मुख्य धारा वाले बैंक देश में वित्तीय समावेशन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अपनी प्रौद्योगिकीय दक्षता के कारण निजी क्षेत्र के बैंक वित्तीय समावेशन प्राप्त करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अपेक्षा वृहत्तर भूमिका निभाएंगे। बैंकों से उनकी नयी शाखाओं में से 25% शाखाएं ग्रामीण बैंक-रहित ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने हेतु कहने की भारतीय रिज़र्व बैंक की मुहिम एक व्यावहारिक नीति है। वित्तीय समावेशन न केवल भारत में, अपितु वैश्विक स्तर पर भी एक चुनौती है। 4.7 बिलियन प्रौढ़ जनसंख्या में से 2.5 बिलियन की औपचारिक बैंकिंग तक पहुंच नहीं है।" उनका यह भी कहना है कि "समाज को मुद्रा और ऋण के बीच अंतर से अवगत होना आवश्यक है। यदि आप ऋण देते हैं, तो वह वापस मिलना चाहिए, क्योंकि धन की आवश्यकता हर एक को है। बैंक धन नहीं दे सकते, वे ऋण देते हैं। उधारकर्ता पर चुकाने की बाध्यता न होने पर प्रणाली निश्चित रूप से असफल हो जाएगी ।"

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि में 5.72 बिलियन अमरीकी डालर की गिरावट

भारत की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि में अक्तूबर 2011 में 558 मिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि के बाद नवम्बर 2011 में 5.725 बिलियन अमरीकी डालर की तीव्र गिरावट दर्ज हुई। यह गिरावट मुख यत: विदेशी मुद्रा आस्तियों में 3.8868 बिलियन अमरीकी डालर के विसर्पण और सोने के प्रारक्षित भंडार में 1.771 बिलियन अमरीकी डालर की कमी होने के कारण आई। भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा आस्तियों में हुए परिवर्तनों का कोई कारण नहीं बताता, किन्तु डालरों में अभिव्यक्त आस्तियों से प्रारक्षित निधियों में रखी गई यूरो, स्टर्लिंग और येन जैसी गैर-अमरीकी मुद्राओं के मूल्य में हुए उतार-चढ़ावों का पता चजाता है। 4 नवम्बर 2011 को भारत की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि 314.665 बिलियन अमरीकी डालर थी। दिसम्बर 2010 से इन प्रारक्षित निधियों में 17.331 बिलियन डालर की वृद्धि हुई है।

'ऑनलाइन विदेशी मुद्रा क्रय-विक्रय से सम्बन्धित भुगतानों पर निगरानी रखें': भारतीय रिज़र्व बैंक का बैंकों को निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा (forex) का लेनदेन करने वाले बैंकों से उन लेनदेनों के सम्बन्ध में यथोचित सावधानी बरतने और अतिरिक्त रूप से सतर्क रहने के लिए कहा है, जिनके लिए निवा सियों को विदेशी मुद्रा के ऑनलाइन क्रय-विक्रय से सम्बन्धित लेनदेनों के लिए मार्जिन भुगतान करने की आवश्यकता पड़ती है। कार्ड जारीकर्ता कम्पनियों से भी इसप्रकार के अनधिकृत भुगतानों की अनुमति दिए जाने के समक्ष सजग रहने के लिए कहा गया है। भारतीय रिज़र्व के ध्यान में ऐसे मामले आए हैं, जिनमें विदेशों में विदेशी मुद्रा के क्रय-विक्रय की शुरूआत भारी संख्या में इंटरनेटों / इलेक्ट्रॉ निक ट्रेडिंग पोर्टलों पर की गई है, जिसमें निवासियों को इसप्रकार के क्रय-विक्रय से गारंटीकॅत अधिक प्रतिलाभ का प्रलोभन दिया जाता है। इन पोर्टलों के माध्यम से अधिकांश क्रय-विक्रय भारी लीवर-लाभ के साथ अथवा निवेश के आधार पर मार्जिनिंग के आधार पर इसप्रकार किए जाते हैं, जिनमें प्रतिलाभ क्रय-विक्रय पर आधारित होते हैं।

बीमा

इर्डा ने बीमा विक्रय वेब पोर्टलों के नियम कठोर किए

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने वेबसाइटों (जिन्हें वेब संयोजकों के रूप में भी जाना जाता है) तथा बीमा उत्पादों के बेचने वाले पोर्टलों के लिए नियमों को कठोर बना दिया है। वेब

संयोजक समर्पित साइटें अथवा पोर्टल होते हैं, जो सभी कम्पनियों के प्रीमियमों एवं मुख्य विशेषताओं सहित बीमा उत्पादों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराते हैं। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के दिशानिर्देशों के अनुसार अब कम्पनियों के लिए न्यूनतम 10 लाख रुपये की निवल मालियत वाली होना आवश्यक होगा। उन्हें उनकी वेबसाइटों पर बीमा से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराने का पात्र बनने के लिए अपने आपको बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के पास पंजीकृत कराना होगा। उनके लिए प्रीमियम की रकमों को नियमित रूप से अद्यतन करते रहने के अलावा सभी बीमाकर्ताओं के बीमा उत्पादों की बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा सूचीबद्ध विशेषताओं और सभी सामान्य सूचनाओं को भी उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। ये वेबसाइटें बीमा उत्पादों की रेटिंगों, रैंकिंगों, पृष्ठांकनों और उनके सर्वोत्तम विक्रेताओं का प्रदर्शन नहीं कर सकतीं।

पेंशन योजनाओं के लिए प्रतिलाभ की अश्वस्ति जरूरी : इर्डा

पेंशन उत्पादों पर 4.5% की गारंटी देने से सम्बन्धित अपने पूर्ववर्ती मानदंडों को निरस्त करते हुए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने यह अनिवार्य कर दिया है कि सभी जीवन बीमाकर्ताऔं को किसी न किसी प्रकार का सुपरिभाषित आश्वस्त लाभ प्रदान करना होगा तथा बिक्री से समय उसे प्रकट करना होगा। इसके अलावा, पेशन पॉलिसियां बेचने वाले सभी जीवन बीमाकर्ताओं के लिए उनके ग्राहकों को (पेंशन पॉलिसी की परिपक्वता पर) वार्षिकी उत्पादों को अवश्य बेचना होगा। आश्वस्त लाभ का उपयोग निवेश (vesting) की तिथि अथवा अभ्यर्पण की तिथि अथवा मृत्यु की तिथि को किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बीमाकर्ताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले पेंशन उत्पादों में पेंशन पॉलिसी की पूरी अवधि के दौरान एक बीमा सुरक्षा निहित होनी चाहिए। बजाज एलाएंज लाइफ इंश्योरेंस के विपणन प्रबन्धन के प्रधान श्री ऋतुराज भट्टाचार्जी का कहना है कि "नये दिशानिर्देशों में बहुत सी उपभोक्ता-अनुकूल विशेषताएं मौजूद हैं, यथा - देय प्रीमियम पर न्यूनतम गारंटी जैसा आश्वस्त लाभ अधोमुखी संरक्षण के प्रति आश्वस्त करता है। कोई अन्य पेंशन पॉलिसी खरीदने का विकल्प प्राप्त राशियों को वार्षिकी में परिवर्तित करने की तात्कालिक अनिवार्यता को समाप्त कर देती है। निवेश तिथि का मूल रूप से चुनी गई निवेश तिथि से आगे तक विस्तार पेंशन उत्पादों में लचीलापन ला देता है।

उत्पाद एवं गंठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य

इलाहाबाद बैंक	भारतीय जीवन बीमा निगम	उनके प्रबन्धन व्ययों का प्रबन्धन करने और पॉलिसियों का राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT) के माध्यम से भुगतान करने
भारतीय स्टेट बैंक	मनी ग्राम	चेन्नै और मुंबई के निवासी अब विदेशों से धनराशि भारतीय स्टेट बैंक की 100 में से किसी भी शाखा से प्राप्त कर सकते हैं। अनिवासी भारतीय धनराशि को या तो मनी ग्राक की सुविधा वाले स्थानों के माध्यम से या फिर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
बंगाल ग्रामीण बैंक / पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक	बजाज एलाएंज	उनके समूह जीवन बीमा उत्पादों बैंक के ऋण उधारकर्ताओं और खाता धारकों को वितरण
आईएनजी वैश्या बैंक	ओरियेंटल बीमा निगम	देशभर में स्थित बैंक की शाखाओं के माध्यम से भुगतान सेवाएं प्रदान करने

नयी नियुक्तियां

- श्री देवेन्द्र पाल सिंह को पंजाब एण्ड सिंध बैंक का अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया है।

- श्रीमती नूपुर मित्रा ने देना बैंक की अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल ि लया है।

अंतरराष्टीय निपटान बैंक (BIS) (क्रमश:)

पूर्ववर्ती अंकों में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (BCBS) सहित विविध समितियों पर चर्चा करने के बाद हम अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के कुछेक और अंगों पर जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं :

केन्द्रीय बैंक सांख्यिकी पर इरविंग फिशर समिति

केन्द्रीय बैंक सांख्यिकी पर इरविंग फिशर समिति (IFC) केन्द्रीय बैंकों के अर्थशास्त्रियों और सांख्यिकीविदों और अन्य लोगों का एक ऐसा मंच है, जो केन्द्रीय बैंकों के हितों से जुड़े सांख्यिकीय मुद्दों पर चर्चा करने में सहभागिता करना चाहते हैं। इरविंग फिशर समिति अंतरराष्ट्रीय केन्द्रीय बैंकिंग समुदाय द्वारा संस्थापित एवं अभिशासित एक समिति है तथा वह अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के तत्वावधान में परिचालित होती है। यह अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) से सम्बद्ध है।

इरविंग फिशर समिति ने इरविंग फिशर नाम अतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिप्राप्त एक अर्थशास्त्री एवं सांख्यिकीविद के नाम पर आर्थिक मापों और केन्द्रीय बैंकों के हितों से जुड़े मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता वाले कई अन्य विषयों पर उनके कार्यों के आधार पर अंगीकृत किया है। अर्थशास्त्र और सांि ख्यकी के क्षेत्र में उनके व्यापक श्रेणी वाले योगदान तथा उनका बहु- शास्त्रीय दृष्टिकोण इरविंग फिशर समिति के उद्देश्यों एवं कार्यकलापों के लिए उदाहरण का काम करता है।

वित्तीय स्थिरता संस्थान (FSI)

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक और बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति ने विश्वभर के वित्तीय क्षेत्र के पर्यवेक्षकों की उनकी वित्तीय प्रणालियों में सुधार लाने और उन्हें सुदृढ़ करने में सहायता करने के ि लए 1999 में संयुक्त रूप से वित्तीय स्थिरता समिति (FSI) की रचना की।

उद्देश्य

वित्तीय स्थिरता संस्थान का उद्देश्य निम्नलिखित का सुनिश्चयन है :

- वैश्विक स्तर पर सुदृढ़ पर्यवेक्षी मानकों और प्रथाओं को बढ़ावा देना तथा सभी देशों में इन मानकों के कार्यान्वयन में सहायता करना।
- पर्यवेक्षकों को वित्तीय क्षेत्र में द्रुत नवोन्मेषन अपनाने में उनकी सहायता करने हेतु बाज़ार के उत्पादों, प्रथाओं एवं तकनीकों के सम्बन्ध में अद्यतन सूचना प्रदान करना।
- पर्यवेक्षकों की उनकी बहु-विध चुनौतियों के लिए संगोष्ठियों, विचार-विमर्श मंचों एवं सम्मेलनों में अनुभवों को बांट कर समाधान विकसित करने में सहायता करना।
- पर्यवेक्षकों की उन प्रथाओं एवं साधनों का उपयोग करने में सहायता करना जो उन्हें दैनंदिन मांगों को पूरा करने तथा अधिक महत्वाकांक्षी ध्येयों को प्राप्त करने में समर्थ बनाएंगे।

मुख्य गतिविधियां

वित्तीय स्थिरता संस्थान अपने उद्देश्यों की प्राप्ति निम्नलिखित मुख्य गतिविधियों के माध्यम से करता है :

- वित्तीय क्षेत्र के पर्यवेक्षकों के लिए सम्मलनों, उच्च स्तरीय बैठकों तथा स्विटजरलैंड और वै श्विक स्तर पर आयोजित संगोष्टियों जैं आयोजन।
- वित्तीय क्षेत्र के पर्यवेक्षकों के लिए ऑनलाइन शिक्षण साधन एवं सूचना संसाधन नामक एफएसआई कनेक्ट।
- आवधिक दस्तावेजों तथा तिमाही न्यूजलेटर जैसे प्रकाशन।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक द्वारा आयोजित अन्य संगठन

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक कई एक ऐसे स्वतंत्र संगठनों के सचिवालयों की मेज़बानी करता है, जो अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक और उसके सदस्य केन्द्रीय बैंकों को प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग संपर्क के बिना कार्य करते हैं। ये हैं वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB), बीमा पर्यवेक्षकों का अंतरराष्टीय संघ (IAIS) और निक्षेप बीकर्ताओं का अंतरराष्टीय संघ (IADI)।

बीमा पर्यवेक्षकों का अंतरराष्टीय संघ (IAIS) और निक्षेप बीकर्ताओं का अंतरराष्टीय संघ (IADI)क्रमश: बीमा और निक्षेप बीमा के कार्य-क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित रखते हैं, जबकि वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB),का ध्येय अपेक्षाकृत व्यापक होता है।
वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB),वर्धित सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और वित्तीय पर्यवेक्षण और चौकसी में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। यह वित्तीय स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्राधिकारियों को महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केन्द्रों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, अंतरराष्ट्रीय विनियामक अथवा पर्यवेक्षी निकायों तथा केन्द्रीय बैंक विशेषज्ञों की समिति में एक साथ लाता है।

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

क्वांटो अदला-बदली (swap)

ब्याज दर, मुद्रा और इक्विटी अदला-बदली के भावी सौदों (फ्यूचर्स) के भिन्न-भिन्न संयोजनों वाली एक ऐसी अदला-बदली, जिसमे भुगतान दो भिन्न-भिन्न मुद्राओं की ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव पर आधारित होते हैं। इसे विभेदक अथवा डिफ अदला-बदली भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए कोई विशिष्ट क्वांटो अदला-बदली अमरीकी निवेशक के (1 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के लिए) अमरीकी डालर में छ:-माह की लिबोर का भुगतान करने और भुगतान छ:-माह की यूरिबोर + 75 आधार अंक की दर पर अमरीकी डालर में प्रप्त करने से सम्बन्धित होती है।

शब्दावली

खुले बाज़ार के परिचालन (OMO)

बैंकिंग प्रणाली में मौजूद धनराशि को विस्तीर्ण अथवा संकुचित करने के उद्देश्य से सरकारी प्र तिभूतियों की खुले बाज़ार में खरीद अथवा बिक्री । खरीदियां बैंकिंग प्रणाली में धन का निषेचन करती हैं तथा वृद्धि को प्रेरित करती हैं, जबकि प्रतिभूतियों की बिक्री इसके विपरीत कार्य करती है। खुले बाज़ार के परिचालन मौद्रिक नीति के मुख्य साधन होते हैं।

संस्थान की गतिविधियां

लीडरशिप सेन्टर, आईआईबीएफ, कुर्ला में प्रशिक्षण की गतिविधियां

लीडरशिप कार्यक्रम

- संस्थान ने डेवलपमेंट डाइमेंशन्स इंटरनेशनल (DDI) यू.एस. ए. के सहयोग से 20 से 23 नवम्बर 2011 तक लीडरशिप असेसमेंट एण्ड डेवलपमेंट पर एक साढ़े तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें 14 सहभागियों ने भाग लिया।
- संस्थान ने परसॉनेल डिसीजन्स इंटरनेशनल (PDI) नांइंथ हाउस के सहयोग से 15 दिसम्बर से 17 दिसम्बर 2011 तक शाखा प्रबन्धकों के सशक्तीकरण पर एक तीन दिवसीय कार्यक्रम की घोषणा की है। विस्तृत जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम:

- संस्थान ने 28 नवम्बर 2011 से 30 नवम्बर 2011 तक "वित्तीय समावेशन" पर एक तीन दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (TTP) आयोजित किया था। उक्त कार्यक्रम में 40 सहभागियों ने भाग लिया।

- संस्थान ने 23 से 28 जनवरी 2012 तक (बैंकिंग संस्थानों और बैंकों के लिए) एक छ: दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (TTP) की भी घोषणा की है।

भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन
पंजीकृत पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12

- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 28वीं तारीख को प्रेषित करें।

--

संस्थान समाचार

आईआईबीएफ की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है। विस्तृत जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

संस्थान ने 3 दिसम्बर, 2011 को इंडियन इस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की हाल की पहलकदमियों पर चर्चा करने के लिए मानव संसाधन / प्रशिक्षण प्रमुखों की एक बैठक आयोजित की थी। उक्त बैठक में बैंकों से 31 वरिष्ठ मानव संसाधन व्यावसायिकों ने सहभागिता की थी।

शिक्षावृत्ति / सहयोगी सदस्यों के लिए संशोधित मानदंड

संस्थान ने शिक्षावृत्ति / सहयोगी सदस्यों के मानदंडों को संशोधित कर दिया है। (अधिक जानकारी के लिए साइट www.iibf.org.in देखें)

हीरक जयंती और सी.एच. भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फेलोशिप

वर्ष 2011-12 के लिए हीरक जयंती और सी.एच. भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फेलोशिप के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2011 तक बढ़ा दी गई है।

बाज़ार की खबरें

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

18000
17500
17000
16500
16000
15500

01/11/11 03/11/11 05/11/11 07/11/11 09/11/11 11/11/11 13/11/11 15/11/11 17/11/11
19/11/11 21/11/11 23/11/11 25/11/11 27/11/11 29/11/11

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

85
80

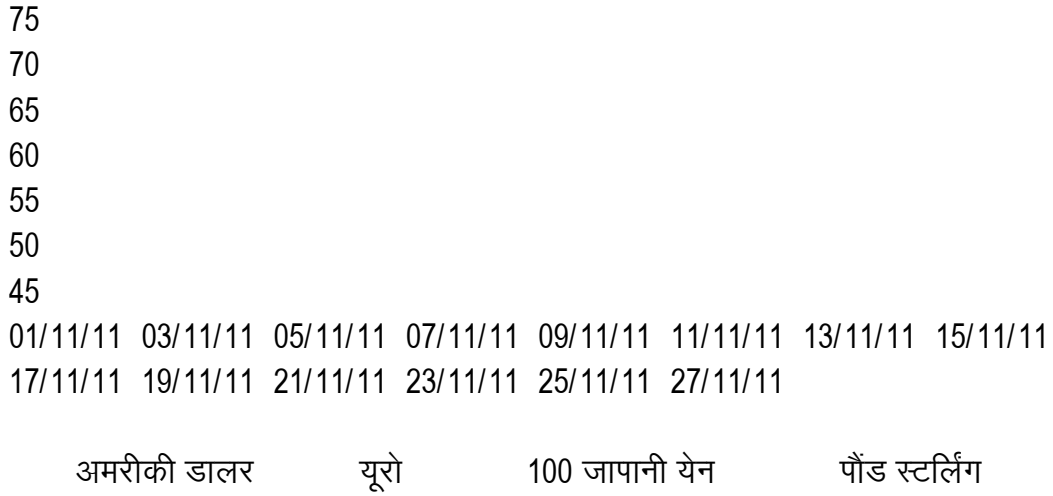

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- जहां 8 अक्तूबर और 11 नवम्बर के बीच यूरो में 3% की गिरावट आई, वहीं माह के मध्य में डालर के समक्ष रुपया 10% लुढ़का।
  रुपया 60.74- 14 वीं को बंद भाव से 38 पैसे कम के स्तर पर पहुंचा। 13.4% लुढ़क कर रुपया इस वर्ष एशिया की महत्वपूर्ण मुद्राओं में सबसे खराब कार्य-निष्पादक मुद्रा बन गया। बाज़ार को रुपया के 51 के स्तर पर पहुंचने की आशा है।
- विशेघज्ञों का कहना है कि रुपये के 50.80-51.80 वाली पट्टी में खरीदे -बेचे जाने की संभावना है।
- 21वीं को रुपया अमरीकी डालर के मुकाबले 52.15 पर बंद हुआ, जो अप्रैल 2009 में 52.18 के उसके सभी अंत: दिवसीय कम स्तरों से मामूली तौर पर अधिक था।
- नवम्बर के अंतिम दिन रुपया 52.20 / 21 पर बंद हुआ, जो 29 को बंद भाव की तुलना में 35% कमजोर था। नवम्बर में रुपयो 7% गिरा। 16 वर्षों में सबसे खराब गिरावट आई।
- प्रमुख मुद्राओं के समक्ष रुपये का मूल्यह्रास के प्रति सुस्पष्ट प्रवृत्ति।
- नवम्बर के दौरान रुपये में यूरो के समक्ष 2.38%, स्टर्लिंग के समक्ष 2.33% और जापानी येन के समक्ष 5.93% का मूल्यह्रास हुआ।

भारित औसत मांग दरें

01/11/11 03/11/11 05/11/11 07/11/11 09/11/11 11/11/11 13/11/11 15/11/11 17/11/11 19/11/11 21/11/11 23/11/11 25/11/11

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, जुलाई, 2011

- चलनिधि की कठिन स्थितियों के बीच माह के अधिकांश दिनों को मांग दरें 8.5% के ऊपर कायम रहीं।
- 8.69% के उच्च स्तर पर पहुंच गई।
- मांग मुद्रा दरें जनवरी 2012 तक 8.5% के आसपास और उसके बाद 8% पर स्थिर रह सकती हैं।
- 28वीं को 8.53 के उच्च स्तर पर पहुंच गई।
- बाज़ार को 15,000 करोड़ की चलनिधि निषेचित करने के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) में 25 आधार अंक कमी किए जाने की आशा है।

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न दिसम्बर, 2011